Camp Bag

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001.

No. 3/4/ID/2012/SDR/(UP-G.E) Dated: 16th January, 2012.

To

The Chief Electoral Officer,
Uttar Pradesh,
Lucknow.

Subject:- General Election to the Legislative Assembly, 2012– Commission's Order regarding use of Electors Photo Identity Cards.

Sir,

I am directed to enclose herewith Commission's Order dated 16th January, 2012 regarding identification of electors at the current general election to Uttar Pradesh Legislative Assembly. The Commission has directed that all electors in each of the 403 Assembly Constituencies shall bring the EPIC when they come for voting. If any elector fails to produce his/her EPIC such elector shall have to produce any of the alternative photo documents prescribed.

2. The Order may be brought to the notice of all Returning Officers and Presiding Officers.

3. If an elector produces an Electors Photo Identity Card which has been issued by the Electoral Registration Officer of another Assembly Constituency, such cards shall also be taken into account provided the name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for voting. Minor discrepancies in the entries in the EPIC should be ignored and the elector allowed to vote provided the identity of the elector can be established by means of the EPIC.

4. The Commission's Order dated 16th January, 2012 may be got published in the State Gazette immediately. This Order may be given wide publicity through print/electronic media for information of the general public and electors. This may also be brought to the notice of all candidates. All contesting candidates at the said general election may also be informed, in writing, of this direction of the Commission.

5. The Returning Officers shall be instructed to note the implications of this Order and explain the contents thereof to all Presiding Officers through special briefings. They should also ensure that a copy of this letter is available with the Presiding Officers at all polling stations / booths in all the constituencies.

6. Kindly acknowledge receipt and confirm action taken.

Yours faithfully,

(N.T.BHUTIA)
UNDER SECRETARY

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

No. 3/4/ID/2012/SDR/(UP-G.E) Dated : 16th January, 2012

ORDER

1. Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Cards for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electors Photo Identity Cards to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors Photo Identity Cards under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electors Photo Identity Cards at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electors Photo Identity Cards may result in the denial of permission to vote; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electors Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, and that both are to be used together; and

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electors Photo Identity Cards (EPICs) to all electors, according to a time bound programme; and

6. Whereas, the Commission has taken note of the fact that over the last few years since the implementation of the programme of issue of EPICs was taken up, the election machinery of

Uttar Pradesh have issued these cards to a substantially high number of electors and made all possible efforts, by way of repeated rounds of the constituencies and areas, with a view to issuing cards to the left-out electors; and

7. Whereas, at the general election to the Legislative Assembly of Haryana held in January – March, 2000, and at all general and bye-elections held since then, the Commission had directed that all electors who were issued with EPICs should produce those cards to exercise their franchise at the said elections, and that it would permit the odd electors who have not obtained their EPICs to vote at the said election, provided their identity is otherwise established by production of one of the alternative documents prescribed by the Commission; and

8. Whereas, the Commission has introduced distribution of "Authenticated Photo Voters Slip" to the electors in Uttar Pradesh.

9. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that all electors in each of the 403 Assembly Constituencies, for the general election notified/to be notified on 12th January, 2012, 16th January, 2012, 21st January, 2012, 25th January, 2012, 28th January, 2012, 2nd February, 2012 & 6th February, 2012, shall produce their EPICs for establishing their identity before casting their votes. If any elector fails to produce his/her EPIC, such elector shall have to produce any of the following alternative photo documents for establishing his/her identity:-

(i) Passport,

(ii) Driving Licence,

(iii) Income Tax Identity (PAN) Card,

(iv) Service Identity Card having photograph issued to its employees by State/Central Government, Public Sector Undertakings or Public Limited Companies,

(v) Passbooks with photograph issued by Public Sector Banks/Post Office and Kisan Passbook/Kisan-Bahi (Accounts opened on or before 31.12.2011),

(vi) Property Documents such as pattas, Registered Deeds, etc.,(in original with photograph)

(vii) SC/ST/OBC Certificate issued by competent authority with photograph issued on or before 31.12.2011.

(viii) Pension Document such as ex-servicemen’s Pension Book/Pension Payment Order, ex-servicemen’s Widow/Dependent Certificates, Old Age Pension Order, Widow Pension Order with photograph issued on or before 31.12.2011

(ix) Freedom Fighter Identity Card with photograph.

(x) Arms Licenses with photographs issued on or before 31.12.2011,

(xi) Certificate of Physical Handicap with photograph issued by the Competent Authority, on or before 31.12.2011.

(xii) Job Card with photograph under the National Rural Employment Guarantee Scheme issued on or before 31.12.2011.

(xiii) Health Insurance Scheme Smart Card with photograph (Ministry of Labour’s Scheme), issued upto 31.12.2011

(xiv) “Authenticated Photo Voter Slip’ issued by Election Machinery.

10. Notwithstanding anything in Para 9 above, Overseas electors who are registered in the electoral rolls under Section 20A of the Representation of the People Act, 1950 based on the particulars in their passport, shall be identified on the basis of their original passport only (no other identity document) in the polling station.

By Order,

(ASHISH CHAKRABORTY)
SECRETARY

कैम्प बेग

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

संः 3/4/आई.डी./2012/एस.डी.आर (उ0प्र0–सा0नि0) दिनांकः 16 जनवरी, 2012

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

विषयः– विधान सभा साधारण निर्वाचन– 2012 – निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों के प्रयोग के संबंध में आयोग के आदेश ।

महोदया,

मुझे उत्तर प्रदेश राज्य की चालू विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन में निर्वाचकों की पहचान से संबंधित आयोग के दिनांक 16 जनवरी, 2012 का आदेश इसके साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है । आयोग ने यह निदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन में सभी निर्वाचक जब मतदान के लिए आएं तो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र साथ में लाएं । यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता हैं, तो उसे निर्धारित फोटो दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा ।

2. यह आदेश सभी रिटर्निंग आफिसरों तथा पीठासीन अधिकारियों के नोटिस में लाया जाए ।

3. यदि कोई निर्वाचक ऐसा निर्वाचक पहचान पत्र प्रस्तुत करता है, जो किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है, तो ऐसे पहचान पत्रों को भी मान्य माना जाएगा, बशर्ते उस निर्वाचक का नाम उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में हो, जहां वह निर्वाचक मतदान के लिए आया है । निर्वाचक फोटो पहचान पत्र कीं सूक्ष्म विसंगतियां नजरअंदाज कर दी जानी चाहिए तथा निर्वाचक को मत देने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए बशर्ते कि उसकी पहचान निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के माध्यम से स्थापित की जा सके ।

4. आयोग का दिनांक 16 जनवरी, 2012 का आदेश राज्य के राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए । आम जनता तथा निर्वाचकों को सूचित करने के लिए इस आदेश का प्रिंट तथा इलैक्ट्रोनिक

मीडिया के माध्यम द्वारा व्यापक प्रचार किया जाए । इसे सभी अभ्यर्थियों के नोटिस में भी लाया जाए । आपके राज्य के सभी राजनैतिक दलों को भी आयोग के इस निदेश की लिखित में सूचना दी जाए ।

5. रिटर्निंग आफिसरों को यह अनुदेश दिया जाए कि इस आदेश का आशय नोट कर लें तथा इसकी विषय वस्तु सभी पीठासीन अधिकारियों को विशेष संक्षेपों द्वारा स्पष्ट करें । वह यह भी सुनिश्चित करें कि इस पत्र की एक प्रति निर्वाचन क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों/बूथों के पीठासीन अधिकारियों के पास उपलब्ध है।

6. कृपया इसकी प्राप्ति सूचना भेजें तथा की गई कार्रवाई की पुष्टि करें।

भवदीय,

(एन.टी भूटिया)
अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

सं0: 3/4/आई.डी./2012/एस0डी0आर(उ0प्र0–सा0नि0) दिनांकः 16 जनवरी, 2012

आदेश

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह प्रावधान है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन असली निर्वाचकों के मताधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय निर्वाचको के लिए अपनी पहचान को सिद्ध करने के उपाय के रूप में निर्वाचक पहचान–पत्र के प्रयोग के लिए उस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा प्रावधान किया जाए ; और

2. यतः, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को मतदान के समय निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुगम बनाने के लिए राज्य की लागत पर उनके फोटो सहित निर्वाचक–पहचान पत्र जारी करने का निदेश देने का अधिकार देता है ; और

3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज (3) और 49 ट (2) (ख) में यह अनुबंध है कि जिस निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक पहचान–पत्र जारी किये गये है उन निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक पहचान–पत्र प्रस्तुत करना होगा और उनकी ओर से निर्वाचक पहचान–पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने या मना करने पर मत डालने से उन्हें मना किया जा सकता है ; और

4. यतः, उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों के सामंजस्यपूर्ण और संयुक्त पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम होने से ही होता है, तथापि यह निर्वाचक पहचान–पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, जहाँ राज्य की लागत पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक पहचान–पत्र जारी किया गया है, वहाँ दोनो को ही साथ–साथ प्रयोग में लाया जाना है ; और

5. यतः, निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्द्य कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचको को निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त,1993 को एक आदेश दिया था ; और

6. यतः, आयोग ने यह पाया है कि पिछले कुछ वर्षों से जब से निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र जारी करने के लिए कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू किया गया था, उत्तर प्रदेश के निर्वाचन–तन्त्र ने सभी संभव प्रयत्नों

द्वारा छूटे हुए निर्वाचको, को ध्यान में रखते हुए पहचान–पत्र जारी करने के लिए, निर्वाचन–क्षेत्रों और इलाकों मे अनेक चक्रों को दोहराते हुए पर्याप्त संख्या में निर्वाचकों को निर्वाचक पहचान–पत्र जारी किए है ; और

7. यतः, जनवरी–मार्च, 2000 में हुए हरियाणा विधान सभा के साधारण निर्वाचन, और तब से अब तक हुए सभी साधारण और उप निर्वाचनों में आयोग ने यह निदेश दिया था कि उक्त निर्वाचनों में सभी निर्वाचक जिन्हे निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र जारी किए जा चुके है, अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय अपने पहचान–पत्र प्रस्तुत करें और उक्त निर्वाचनों में उन छूटे हुए निर्वाचकों जिन्होंने निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र प्राप्त नहीं किए है, उन्हें मतदान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि आयोग द्वारा निर्धारित किसी वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उनकी पहचान स्थापित की जा सके; और

8. यतः, उत्तर प्रदेश राज्य में आयोग द्वारा निर्वाचन तंत्र के माध्यम से 'प्रमाणिक मतदाता फोटो पर्ची' का वितरण शुरू किया जा चुका है ।

9 अतः, अब, सभी संबद्ध बातों और विधिक तथा तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि उत्तर प्रदेश में 403 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के साधारण निर्वाचन जो दिनांक 12 जनवरी, 2012, 16 जनवरी, 2012, 21 जनवरी, 2012, 25 जनवरी, 2012, 28 जनवरी, 2012, 2 फरवरी, 2012 और 6 फरवरी, 2012 को अधिसूचित/अधिसूचित होने वाले, के लिए मतदान केन्द्रों पर मत डालने और अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय सभी मतदाताओ को जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी हो चुका है, को इन पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना होगा । यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो ऐसे निर्वाचक को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा :–

(i) पासपोर्ट

(ii) ड्राइविंग लाइसेन्स ।

(iii) आयकर पहचान–पत्र (पी.ए.एन) ।

(iv) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो युक्त पहचान–पत्र ।

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/डाकघरों द्वारा 31.12.2011 को या उससे पहले खोले गए खातों के लिए फोटोयुक्त किसान पासबुक/किसान बही ।

(vi) सम्पत्ति दस्तावेज जैसे कि पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख इत्यादि (फोटो युक्त मूल प्रति)

(vii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 31–12–2011 को या उससे पूर्व जारी अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र ।

(viii) 31.12.2011 को या उससे पूर्व जारी फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/ पेंशन अदायगी आदेश/ भूतपूर्व सैनिक की विधवा/आश्रित प्रमाण–पत्र /वृद्धावस्था पेंशन आदेश/ विधवा पेंशन आदेश ।

(ix) फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान–पत्र ।

(x) 31–12–2011 को या उससे पूर्व जारी फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस ।

(xi) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 31–12–2011 को या उससे पूर्व जारी शारीरिक विक्लांगता प्रमाण–पत्र ।

(xii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन 31–12–2011 को या उससे पूर्व जारी फोटो युक्त जॉब कार्ड ।

(xiii) फोटोयुक्त स्वास्थ बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना) 31.12.2011 को या उससे पूर्व जारी ।

(xiv) निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी 'प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची ।

10. उक्त पैरा 9 में किसी भी बात के होते हुए भी प्रवासी निर्वाचक जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन अपने पासपोर्ट में दिए गए विवरणानुसार निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है, मतदान केन्द्र में उनकी पहचान केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही की जाएगी (किसी अन्य पहचान दस्तावेज के आधार पर नही) ।

आदेश से,

(आशीष चक्रवर्ती)
सचिव